बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 418423 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 28.03.19

ग्रा०वि०-10/बजट- 17/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा, भा.प्र.से.,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सुपौल एवं रोहतास ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु कुल राशि 1,01,92,700 (एक करोड़ एक लाख बानवे हजार सात सौ) रूपये आवंटित की जाती है ।

2) (क) सुपौल जिला को आवंटित राशि निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विषय शीर्ष		आवंटित राशि
1	2		3
1	01 01	वेतन	10,66,700
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	6,16,600
3	01 04	मकान किराया भत्ता	26,08,500
4	01 05	परिवहन भत्ता	9,14,400
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	21,14,600
6	01 07	अन्य भत्ता	26,700
7	11 01	यात्रा व्यय	2,98,300
8	13 01	कार्यालय व्यय	9,98,000
9	13 02	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	4,98,400
10	13 03	दूरभाष	1,98,300
12	13 04	विधुत प्रभार	4,98,200
13	13 06	वर्दी / पोशाक	4,300
14	14 01	किराया महसूल एवं कर	50,000

(ख) रोहतास जिला को श्री अयोध्या सिंह, संविदा लिपिक, प्रखंड कार्यालय सूर्यपुरा के मानदेय भुगतान हेतु संविदा सेवाएं 28 02 के अंतर्गत 2,99,700/- रूपये आवंटित की जाती है ।

3) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं एम-4-09/2014-3244/वि. दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

4) वेतन मद में आवंटित राशि का उपावंटन प्रखंडों में उपलब्ध राशि की समीक्षा करते हुए ही की जाय एवं जिस प्रखंड में राशि की आवश्यकता हो, उसी प्रखंड में राशि उपावंटित की जाय । प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय । न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 418423 ग्रा०वि०वि०, पटना, दिनांक:- 28.03.19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, एवं आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव